4.1.6 पार्श्व प्रविष्टि

ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक प्रथम या द्वितीय वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, उन्हें उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के समतुल्य पाठ्यक्रम - यथा वे पाठ्यक्रम या विषय जिनमें पूर्व की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है - में द्वितीय या तृतीय वर्ष में पार्श्व प्रविष्टि निम्न प्रावधानों के आधार पर देय होगीः-

1. पूर्व संस्थान से उत्तीर्ण पूर्व परीक्षा के उपरान्त 03 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों पर ही पार्श्व प्रविष्टि के लिये विचार किया जायेगा।

2. पार्श्व प्रविष्टि के लिये आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ पूर्व संस्थान / विश्वविद्यालय के तत्संबंधित कार्यक्रम के संबंधित वर्ष / वर्षों का पाठ्यक्रम स्व-हस्ताक्षरित कर संलग्न करना होगा।

3. समतुल्यता के लिये पूर्व संस्थान में पूर्ण किये पाठ्यक्रम का 75 प्रतिशत भाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से मिलान होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।

4. यदि पूर्व संस्थान के पाठ्यक्रम का 75 प्रतिशत भाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से न मिलता हो अथवा पाठ्यक्रम के ऐसे कुछ प्रश्नपत्र जो आवेदक ने पूर्व में पूरे कर लिये हों और उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो अगले वर्ष/वर्षों में चल रहें हो तो ऐसी स्थिति में आवेदक छात्र के लि□समतुल्यता समिति पाठ्यक्रम के ऐसे पूर्व वर्ष / वर्षों के कुछ प्रश्नपत्रों का अतिरिक्त अध्ययन आवश्यक कर सकेगी।

5. पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों द्वारा पूर्व संस्थान के प्राप्तांकों को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रतिशत में परिवर्तित किया जायेगा जो अंतिम अंकतालिका में तथा छात्र की श्रेणी निर्धारण हेतु मान्य होगा।

6. पार्श्व प्रविष्टि से उपाधि प्राप्त छात्र विश्वविद्यालय पदक के लिये अनुमन्य नहीं होगें।

7. पार्श्व प्रविष्टि से संबंधित आवेदन पर केवल विश्वविद्यालय मुख्यालय में विचार किया जायेगा और अध्ययन केन्द्रों को ऐसे आवेदन पत्र मुख्यालय भेजने होगें, समतुल्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त ऐसे छात्रों का प्रवेश अपने अध्ययन केन्द्रों में कर सकते हैं।

8. उसी कक्षा में प्रवेश लेने वाले अन्य छात्रों के लिये अध्ययन □ं मूल्यांकन की जो व्यवस्था होगी पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिये भी वही लागू होगी।

9. विश्वविद्यालय के अभ्यर्थी के लिये यह सुविधा पूर्ववत रहेगी तथा अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी के मामले में □क विशिष्ट समिति अभ्यर्थी की समतुल्यता, प्रमाण पत्रों □ं प्रवेश के सम्बंध में निर्णय लेगी।

4.1.6 Lateral Entry

Those learners who have passed first or second year of graduation or first year of Post Graduation from any other University may also seek admission through lateral entry in equivalent programmes of Uttarakhand Open University under the following recommendations:

1. Only those applications shall be considered for the lateral entry which is submitted within 03 years of passing the previous examination from previous institution.

2. A self-signed copy of the syllabus of the concerned course of the related year/years of the previous institution/University should be attached with the application for the lateral entry.

3. For the purpose of equivalence admission shall be allowed omly when the syllabus of the completed course from the previous institution gets matched with the syllabus of the Uttarakhand Open University upto the extent of 75 percent.

4. Equivalence Committee may make it compulsory for the applicant students to study the extra papers in case the syllabus of the previous institution does not match with the syllabus of Uttarakhand Open university to the extent of 75 percent or in case some of the papers which the applicant student has already completed and which are in the syllabus of the uttarakhand Open University for the next year/years.

5. In case of the students admitted through the lateral entry, the marks obtained by them from the previous institution shall be converted into the percentage as per the practice in vogue in Uttarakhand Open University for issuing the marksheet and for determining the division of the the student.

6. Students obtaining degree through the lateral entry shall not be entitled for the University Medals.

7. Applications for the lateral entry shall be considered in the University Headquarters only and Study centres shall have to send such applications to the Headquartes, study centres may admit such students after the recommendation of the equivalence committee.

8. The system of study and evaluation for the students admitted through the lateral entry shall remain the same as for the other students of the same class.

9. For the students of Uttarakhand Open University this facility shall remain the same as was in vogue in the University and in the cases of students passed from the other institution/ University a special committee shall take decision with regard to equivalence, certificates and admission